राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः—एफ13/1/3/आरजीआई./वीएस/डीईएस/2017/158   दिनांकः— 25.02.2026

—:परिपत्र:—

राज्य में जन्म—मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन का कार्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, (संशोधित 2023) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000, (संशोधित 2025) के तहत किया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाण पत्र होता है। जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज होती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, के सन्दर्भ में निष्कर्षी (अन्तिम) साक्ष्य होती है। इन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 12 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु सम्बन्धी उद्धरण / प्रमाणपत्र जारी किए जाते है तथा ये उस प्रविष्टि से सम्बन्धित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र विधिक दस्तावेज होता है।

इन अधिनियम/नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म की 30 दिवस से एक वर्ष की अवधि की जन्म की घटनाओं का पंजीयन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं राज्य नियम 9(2) तथा एक वर्ष से अधिक की अवधि की जन्म की घटनाओं का पंजीयन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राज्य नियम 9(3) के तहत जारी अनुज्ञा के आधार पर किया जा रहा है।

प्रायः यह देखा जा रहा हैं कि जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार से ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे है जिसमें माता—पिता/संरक्षक/अभिभावक द्वारा जन्म की विलम्बित घटनाओं का पंजीयन दो अलग—अलग अनुज्ञा जारी करवा कर एक ही जन्म की घटना का अलग—अलग जन्म तिथी दर्ज करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाये जा रहे है तथा कई प्रकरणों में संस्थागत जन्म की घटना का संस्थानिक पंजीयन होने के बावजूद भी जन्म की घटना का अनुज्ञा के आधार पर अलग—अलग जन्म तिथि के साथ पुनः पंजीयन किसी मंशा या उद्देश्य की पूर्ति के लिए करवा लिया जाता है जिसमें जन्म की घटना का द्वितीय पंजीयन शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर, राजकीय/शैक्षिक लाभ लेने के उद्देश्य से किया जाता है। बाद में जन्म की घटना के प्रथम पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता है।

अतः उपरोक्त प्रकरणों की स्थिति के मध्यनजर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, (संशोधित 2023) की धारा 4(3) एवं 4(4) के प्रावधान के अर्न्तगत यह निर्णय लिया जाता है कि जिला रजिस्ट्रार/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा दोनों जन्म प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच उपरांत एवं दस्तावेजो एवं साक्ष्यों की संतुष्टि उपरांत प्रथम बार अनुज्ञा से जारी जन्म प्रमाण पत्र को यथावत रखा जावे और दूसरा

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई—मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.:
20703894
eSign DSC

अनुज्ञा से जारी जन्म प्रमाण पत्र को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, (संशोधित 2023) की धारा 15 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000, (संशोधित 2025) के नियम 11 तहत नियमानुसार निरस्त किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी चिकित्सा संस्थान (राजकीय/निजी चिकित्सालय) में जन्म की घटना होती है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्त उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण ही मान्य होगा।

(विनेश सिंघवी)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ13/1/3/आरजीआई./वीएस/डीईएस/2017/158 दिनांकः 25.02.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय–2, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110001
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला समस्त।
5. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम समस्त।
6. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला समस्त।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त।
8. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.:
20703894
eSign DSC

Document certified by VINESH SINGHVI
<Aao.des@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint Secretary
Date :25-02-2026 12:09:31